

पत्रांक:वाई.ई.ए./2021/DMS-145302
दिनांक : 05/07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-12 में प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड जो कार्नर पर होते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाने पर आवंटियों से अतिरिक्त बड़े क्षेत्रफल के सापेक्ष ली जाने वाली धनराशि को 04 छमाही किश्तों में साधारण ब्याज के साथ लिये के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

"यदि अतिरिक्त क्षेत्रफल भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक है तो बड़े हुये क्षेत्रफल के सापेक्ष धनराशि 02 छमाही किश्तों में साधारण ब्याज के साथ वसूली जाये तथा यदि बड़ा हुआ क्षेत्रफल भूखण्ड के कुल 10 प्रतिशत से अधिक है तो बड़े हुये क्षेत्रफल के सापेक्ष धनराशि 04 छमाही किश्तों में साधारण ब्याज के साथ वसूली जाये।"

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मोनिका रानी)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी./एम/एस.जी.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
4. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रबन्धक (सम्पत्ति) के अनुपालनार्थ।
5. विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. स्टॉफ आफीसर मार्केटिंग को उक्त कार्यालय ज्ञाप को एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी